कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्रीमती लोकेश व्याख्याता गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जारोड़ा मेड़ता, नागौर ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 2703/2021 श्रीमती लोकेश एवं अन्य बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 2703/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती लोकेश को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार याचिकार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार के नीति के अन्तर्गत आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्रीमती लोकेश द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने पति के हनुमानगढ़ में पदस्थापित होने एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान गृह जिले से 400 किमी. दूर, वृद्ध सास–ससुर के अक्सर बीमार रहने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. राउमावि परलीका (हनुमानगढ़) 2. डाईट हनुमानगढ़ 3. आर.पी. (रिसोर्स पर्सन) सीबीईओ हनुमानगढ़ 4. राउमावि बीरमाना (गंगानगर) पर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी दिनांक 20.10.2016 से वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यरत है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–3/भौगक्/अभ्यावेदन/लोकेश/एसबीसी. 2703/2021/07 दिनांकः 17-03-21

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:/17.12.16/desktop/court